

16.12.2022

परिवादी द्वारा श्री अरविंद शर्मा अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त अनुपस्थित।

प्रकरण आरोपी की उपस्थिति हेतु नियत है।

प्रकरण के इसी प्रक्रम पर अभियुक्त की उपस्थिति हेतु कई बार वारंट जारी किये जाने के बावजूद भी वारंट के पालन में अभियुक्त जानबूझकर उपस्थित नहीं हो रहा है। अतः अभियुक्त को जरिए स्थाई वारंट तलब किए जाने का मौखिक निवेदन किया गया है तथा अभियुक्त की उपस्थिति पर परिवादी को परिवाद पत्र में वर्णित परिवादी के पते पर सूचित किए जाने का मौखिक निवेदन किया गया है।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अभियुक्त परिवादी साक्ष्य की स्टेज पर अनुपस्थित हुआ है और अभियुक्त की उपस्थिति के परिप्रेक्ष्य में कई बार आदेशिकाएं/वारंट जारी किए गए, किंतु उसके बाद भी अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो सकी है इस प्रकरण में अभियुक्त की उपस्थिति हेतु पर्याप्त/उचित प्रयास किए जा चुके हैं किंतु वे विफल रहे हैं। फलतः सामान्य वारंट के माध्यम से निकट भविष्य में भी तामील होना प्रतीत नहीं होती, ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त जानबूझकर स्वयं का छुपाव कर/अन्यत्र निवासकर निश्चित दिनांक की उपस्थिति के लिए नियत सामान्य वारंट की तामील सुनिश्चित दिनांक की उपस्थिति के लिए नियत सामान्य वारंट की तामील सुनिश्चित नहीं होने दे रहा है और प्रकरण की समस्त परिस्थितियों के आलोक में मात्र अभियुक्त की उपस्थिति हेतु प्रकरण चलाया जाना महत्वपूर्ण न्यायालयीन समय का अपव्यय दर्शित होकर मात्र अभियुक्त की उपस्थिति हेतु प्रकरण चलाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः परिवादी की ओर से किया गया निवेदन स्वीकार योग्य प्रतीत होने से स्वीकार किया जाकर अभियुक्त रामकुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री कृष्ण मुरारी श्रीवास्तव निवासी ई 5 लक्ष्मीपुरम ग्वालियर के विरुद्ध स्थाई वारंट तलब किया जाये।

अभिलेख के मुख्य पृष्ठ पर "लाल स्याही से" इस आशय की टीप अंकित की जावे कि अभियुक्त फरार है, अभिलेख नष्ट नहीं किया जावे। प्रकरण में अभियुक्त की उपस्थिति पर परिवादी एवं उसके अधिवक्ता को परिवाद पत्र में वर्णित पते पर अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचित किया जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख सुरक्षित रखने की टीप के साथ अभिलेख अभिलेखागार भेजा जावे।

(श्रीमती निधि सक्सेना)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर